

FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई

मुकाम अराई (अजमेर)

• मोहनलाल पुत्र मूलचन्द खंगार कामड़ निवासी ग्राम अराई तहसील अराई जिला अजमेर राज व अन्य।
-वादी।

बनाम

• श्याम लाल पुत्र श्री रामपाल निवासी ग्राम अराई तहसील अराई जिला अजमेर राजस्थान व अन्य
-प्रतिवादीगण।

किस्म मुकदमा- धारा 136 भूराज.अधि. 1956 व 88 राज0 का0 अधि0 1955

दर्ज नंबर 12 / 2024

ऑनलाइन नंबर 2024 / 99.....

वकील वादी :- गोविन्द दास पुरोहित

वकील प्रतिवादीगण.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
02/5/2024	यह वादपत्र वादीगण की ओर से वकील वादी श्री गोविन्ददास पुरोहित ने अन्तर्गत धारा 88 राज.का. अधि. 1955 तथा 136 भूराज. अधि. 1956 के तहत पेश किया गया। वाद पत्र पर वकील वादी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा प्रतिवादीगणों की तुलबी जरिये सम्मन द्वारा की जाकर पत्रावली दिनांक 24/5/2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अंराई	
24/5/24	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित। प्रतिवादीगणों के तामिल अहकाम तामिल अहकाम वाद वलबी पत्रावली दिनांक 14/6/24 को पेश हुई। उपखण्ड अधिकारी अंराई (अजमेर)	
14/6/24	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित। P.O. सहज वनाव कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश पर पत्रावली पेश हुई। पत्रावली पूर्ण अहकामानुसार दिनांक 24/6/24 को पेश हुई।	
8/6/24	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित। P.O. सहज वनाव कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश पर पत्रावली पेश हुई। पत्रावली पूर्ण अहकामानुसार दिनांक 21/6/24 को पेश हुई।	

प्राचीन पंथ दुई पञ्चम पञ्चमपञ्चम अन्तः।
वर्षीय नववीर्य अन्तः- २ अन्तः ३ नव न
तासिनी विपरीत पंथ नही श्री। अन्तः पञ्चम
अन्तः नववीर्य तासिनी अन्तः अन्तः
वर्षीय पञ्चमपञ्चम अन्तः अन्तः
अन्तः